17.50 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Omission of Article 310 etc.)

SHRI BHAGAT RAM (Phillaur): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

सभापति महोदय, इस माननीय सदन के सामने संविधान संशोधन बिल पेश करने का मेरा आशय अनुच्छेद 310 और 311(2) (सी) को लोप कराना है। क्योंकि इन अनुच्छेदों में यह कहा गया है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त ही सेवा में रह सकता है और उस के समाप्त होते ही बिना कारण बताए सेवा से निकाला जा सकता है।

यह अनुच्छेद जो हमारे कांस्टीट्यूशन में है, जो यह प्रावधान है, यह मैं समझता हूं कि यह बुनियादी तौर पर लोकतंत्र के सिद्धान्त के विरुद्ध है। इन के द्वारा 70 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। इन के द्वारा 70 लाख सरकारी कर्मचारियों पर नागरिक अधिकारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की कोशिश की गयी है।

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah): Sir, please allow him to speak next time.

MR. CHAIRMAN: But how can I? There is still time.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: Because the other function is there at 6.05 p.m.

MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House that we should adjourn now and he will continue next time?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: So, the House stands adjourned to re-assemble on Monday, the 12th March at 11 O'Clock.

17.54 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 12, 1979/Phalguna 21, 1900 (Saka).

L—4817 LS—998.—17-5-79